रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185बी] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1971/आश्विन 23, 1893

No. 185B] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1971/ASVINA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

NOTIFICATIONS

FOREIGN TRAVEL TAX

*New Delhi, the 15th October 1971*

**G.S.R. 1542.B.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts every passenger who has proceeded on an international journey prior to the 15th day of October, 1971 from the whole of the Foreign Travel Tax leviable in respect of his return journey to India:

Provided that the carrier concerned satisfies the Collector of Customs that—

(a) such passenger left India before the 15th day of October, 1971; and

(b) the fare for the journey on which the passenger so proceeded and the fare for the said return journey were paid before the 15th day of October, 1971.

[No. 9/F. No 450-TR(FTT)/71.]

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

### अधिसूचनाएं

### विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1971

**सा० का० नि० 1542B**.—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, प्रत्येक यात्री को, जो तारीख 15 अक्तूबर, 1971 के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर चला गया है, उस की भारत को वापसी यात्रा के बारे में उदग्रहणीय सम्पूर्ण विदेश यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु सम्युक्त वाहक सीमा-शुल्क कलक्टर का समाधान करता है कि :—

(क) ऐसा यात्री तारीख 15 अक्तूबर, 1971 के पूर्व भारत से चला गया था, और

(ख) ऐसे यात्रा का भाड़ा, जिस पर यात्री इस प्रकार चला गया है, और उक्त वापसी यात्रा का भाड़ा तारीख 15 अक्तूबर, 1971, के पूर्व संदत्त किया गया था ।

[सं० 9/फा० सं० 450–टी० आर० (एफ० टी० टी०)/71]

---

**G.S.R. 1542.C.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 5-Foreign Travel Tax, dated the 1st October, 1971, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, in column (2) against Sl. No. 3 after the words "international journeys", the words "and the families of such employees" shall be inserted.

[No. 10/F. No. 389-TR(FTT)/71.]

B. N. SHARMA, Under Secy.

**सा० का० नि० 1542C**.—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 5-विदेश यात्रा कर, तारीख 1 अक्तूबर, 1971, में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात —

उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में स्तम्भ (2) में, क्रम सं० 3 के सामने "वाहदक के कर्मचारी" शब्दों के पश्चात "और ऐसे कर्मचारियों के कुटुम्ब" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 10/फा० सं० 389-टी० आर० (वि० या० क०)/71]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971